

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

- पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** वादिनी फूलमती W/O कपिलदेव निवासी ग्राम रामपुर सिंहपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ के तहरीरी सूचना कि दि० 17-3-23 को समय करीब 12 बजे दिन में जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी उपेश राम S/O प्रहलाद, गोलू S/O प्रहलाद, राजकुमार S/O नान्हू, सुजीत S/O नान्हू, नान्हू S/O अज्ञात ने एक राय होकर माँ बहन की गाली देते हुऐ लाठी डन्डा व लोहे की राड से मुझे व प्रभुराम S/O बुलाकी, दिनेश S/O प्रभुराम, घुरहु S/O बुलाकी, सीमा W/O संजय, राजमति W/O विनोद को मारने पीटने लगे जिससे दिनेश, प्रभुराम उपरोक्त को गम्भीर चोट लगने से मौके पर बेहोश गये विपक्षी गण बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिये शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये, दिनेश व प्रभुराम सदर अस्पताल में भर्ती है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 106/23 धारा 34/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।
- गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक-19.03.2023 को उ०नि० अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उपेश कुमार पुत्र प्रह्लाद निवासी रामपुर सिंहपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को कस्बा सिंहपुर से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के निशा देही पर घटना में प्रयुक्त 05 अदद लाठी बास की बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।
- पंजीकृत अभियोग-** मु.अ.सं. 106/23 धारा 34/323/504/506/308 भादवि थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- आपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त**
- गिरफ्तार अभियुक्त** – 1 उपेश कुमार पुत्र प्रह्लाद निवासी रामपुर सिंहपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
- बरामदगी** – घटना में प्रयुक्त 05 अदद लाठी बरामद।
- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ०नि० अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराह का० जितेन्द्र सिंह, का० अनुप कुमार थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुरअवैध गाँजा के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 19.03.2023 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा रोहुआ मोड़ पर मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुयी कि 01 मोटर सायकिल पर 02 व्यक्ति गाँजा लेकर बेचने की फिराक मे रानीपुर रजमो हाइवे पुल पर खड़े है तथा 02 व्यक्ति 01 मोटर सायकिल से गाँजा खरीदने हेतु आने वाले है यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह, जैसे ही रानीपुर रजमो हाइवे पुल पर पहुचे तो वहाँ पर खड़े चार व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगे परन्तु मौके पर मौजूद पुलिस वालो ने 04 व्यक्तियो को 02 मोटर सायकिल सहित समय करीब 06.40 बजे पकड़ लिया गया। पकडे के गये अभियुक्तो की तलाशी ली गयी तो उनके पास से अलग-अलग झोले मे कुल 6 किलो 960 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 83/2023 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-** संतोष राय पुत्र स्व० मेवा राय निवासी बिजौली थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करिब 42 वर्ष
- 2-** उमाकान्त चौहान पुत्र स्व० कैलाश चौहान निवासी मई खडगपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करिब 47 वर्ष
- 3-** तारासिंह पुत्र मुन्नी लाल निवासी सुरजनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करिब 42 वर्ष
- 4-** मोनू कुमार पुत्र स्व० फूलचन्द निवासी सुरजनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करिब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स. 83/2023 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहासअभियुक्त संतोष राय

- 1- मु.अ.स. 810/11 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
- 2- मु.अ.स. 837/11 धारा 307/34 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
- 3- मु.अ.स. 838/11 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना बरदह आजमगढ़

अभियुक्त उमाकान्त चौहान

- 1- मु.अ.स. 90/18 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना सरायलखन्सी मऊ
- 2- मु.अ.स. 91/18 धारा 30/504/34 भादवि व 3/25 आयुध अधि० थाना सराय लखन्सी मऊ
- 3- मु.अ.स. 404/22 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. उ.नि. मुरारी मिश्रा उ.नि. राज बहादुर यादव मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

हेरोइन बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; लगभग 02 लाख रुपये की 118 पुड़िया हेरोइन बरामद

आज दिनांक- 19.03.2023 को उ०नि० श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा रोडवेज चौराहा पर चेकिंग कर रहे थे कि सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो इस्लामपुरा की रहने वाली है अपने घर के सामने नशीला पदार्थ बेच रही है, इस सूचना पर उ०नि० राजीव कुमार सिंह मय हमराह इस्लामपुरा पहुंचे मौके पर अभियुक्त 1. अनवरी खातून पत्नी जमील उर्फ लोटा निवासिनी ग्राम इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर 2. मो० शादिक पुत्र अमीन अहमद सा० पुरारानी समौधी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पकड़ कर तलाशी ली गयी तो अभियुक्ता अनवरी खातून के कब्जे से 63 पुड़िया हेरोइन व बिक्री के 1630 रूपया तथा अभियुक्त मो० शादिक के कब्जे से 55 पुड़िया हेरोइन व 1170 रूपया बरामद हुआ। दोनो अभियुक्तो को ग्राम इस्लामपुरा से समय करिब 10:15 बजे गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर 1. मु०अ०सं० 136/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनवरी खातून पत्नी जमील उर्फ लोटा निवासिनी ग्राम इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर तथा 2. मु०अ०सं० 137/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मो० शादिक पुत्र अमीन अहमद सा० पुरारानी समौधी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अनवरी खातून पत्नी जमील उर्फ लोटा निवासिनी ग्राम इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. मो० शादिक पुत्र अमीन अहमद सा० पुरारानी समौधी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:-

118 पुड़िया हेरोइन (23.12 ग्राम)

2800/- रुपये नकद

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 136/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनवरी खातून पत्नी जमील उर्फ लोटा निवासिनी ग्राम इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर
2. मु०अ०सं० 137/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मो० शादिक पुत्र अमीन अहमद सा० पुरारानी समौधी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र०चौकी कस्बा उ०नि० श्री राजीवकुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़